PLUTUS IAS
UPSC/ PCS

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

प्लूटस आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

30/09/2024 से 06/10/2024 तक

THE HINDU

पत्र सूचना कार्यालय
PRESS INFORMATION BUREAU
भारत सरकार

The Indian EXPRESS

कार्यालय

दूसरी मंज़िल, अप्सरा आर्केड, करोल बाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर - 6, नई दिल्ली 110005

706 प्रथम तल डॉ. मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा के पास दिल्ली - 110009

मोबाइल नं. : +91 84484-40231

वेबसाइट : www.plutusias.com

ईमेल : info@plutsias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

1. प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा : स्वच्छ ऊर्जा और सुरक्षा में सहयोग की नई शुरुआत............................1
2. सर्वोच्च न्यायालय की चेतावनी : CBI अन्वेषण में संतुलन अनिवार्य...........................3
3. सुरक्षा बनाम अधिकार : AFSPA पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय.............................6
4. कार्बन तटस्थता और हरित पहल : ग्रीनहशिंग के प्रभाव और समाधान...........................10
5. भारत के जेलों में जाति : भारत की न्याय प्रणाली में असमानताएँ...............................13

PLUTUS IAS

प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा : स्वच्छ ऊर्जा और सुरक्षा में सहयोग की नई शुरुआत

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन दिवसीय अमेरिका यात्रा भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों की दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण अवसर और अविस्मरणीय पल था।
- इस यात्रा में द्विपक्षीय वार्ता, क्वाड शिखर सम्मेलन की चर्चाएँ और संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठकें भी शामिल थीं।
- इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक साझेदारी और भू-राजनीतिक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना था। जिसने भारत की आगामी क्वाड प्रेसीडेंसी/ अध्यक्षता के लिए एक मजबूत मंच तैयार किया है।
- इस दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन ने विलमिंगटन स्थित अपने निवास पर एक विशेष बैठक की मेज़बानी की।
- भारत के प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत-अमेरिका संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अमेरिका यात्रा का भारत के लिए महत्त्व :

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अमेरिका यात्रा मुख्यतः तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रही –

क्वाड बैठक और उससे संबंधित वैश्विक मुद्दे :

- **क्वाड बैठक :** अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ क्वाड की बैठक हुई। इसमें राष्ट्रपति जो बिडेन के साथ द्विपक्षीय चर्चा के दौरान यूक्रेन संघर्ष जैसे वैश्विक मुद्दों पर बात की गई।

भारत में पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करना :

- **सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना :** भारत और अमेरिका के सहयोग से भारत में पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। यह संयंत्र सैन्य अनुप्रयोगों और महत्वपूर्ण दूरसंचार के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन करेगा।

अन्य द्विपक्षीय पहल और सहयोगात्मक प्रयास :

- **जीएफ कोलकाता पावर सेंटर की स्थापना :** अमेरिका-भारत सहयोग से जीएफ कोलकाता पावर सेंटर की स्थापना की गई, जो सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और एआई जैसे क्षेत्रों में नवाचार में योगदान देगा।
- **नासा और इसरो की संयुक्त अनुसंधान परियोजना :** वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा और इसरो की पहली संयुक्त अनुसंधान परियोजना की योजना है।
- **अमेरिका-भारत वैश्विक चुनौतियां संस्थान :** इस संस्थान की स्थापना से 90 मिलियन डॉलर की धनराशि जुटाई जाएगी, जिससे उच्च प्रभाव वाली शोध एवं विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित और आपसी द्विपक्षीय साझेदारियों को समर्थन मिलेगा।
- **सामूहिक वित्त पोषण पहल :** अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त अनुसंधान में 15 मिलियन डॉलर का वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा।
- **रक्षा साझेदारियां :** अमेरिका-भारत रक्षा संबंधों में प्रगति के तहत, भारत द्वारा ड्रोन खरीदने और अन्य सह-उत्पादन सौदों का स्वागत किया गया।
- **स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन :** नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 1 बिलियन डॉलर की धनराशि की घोषणा की गई।
- **वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग :** नई अमेरिका-भारत औषधि नीति के तहत दवाओं के अवैध उत्पादन और तस्करी को रोकने के लिए सहयोग बढ़ाया

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

जाएगा।

क्वाड शिखर सम्मेलन के रणनीतिक परिणाम :

- **चीन का मुकाबला करना :** क्वाड-एट-सी शिप ऑब्जर्वर मिशन और इंडो-पैसिफिक में समुद्री प्रशिक्षण पहल (MAITRI) आकर्षण के मुख्य केंद्र बिंदु रहे।
- **स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी :** "कैंसर मूनशॉट" की प्रतिबद्धता और क्वाड वैक्सीन पहल पर प्रगति वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान में क्वाड के प्रयासों को दर्शाती है।

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों में मुख्य चुनौतियाँ :

- **तनावपूर्ण मुद्दे :** भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से जुड़े पन्नुन मामले और सिख कार्यकर्ताओं के साथ व्हाइट हाउस की बैठक को लेकर महत्वपूर्ण तनाव भी देखा गया।
- **संयुक्त राष्ट्र कूटनीति और शांति वार्ता :** संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बातचीत, विशेषकर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ, महत्वपूर्ण रहीं। मोदी ने वैश्विक दक्षिण की "मजबूत आवाज़" के रूप में भारत की भूमिका को रेखांकित किया और यूक्रेन संघर्ष पर विकासशील देशों की चिंताओं का समर्थन किया। इस यात्रा ने न केवल दोनों देशों के बीच के संबंधों को मजबूत किया, बल्कि वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

आगे की राह और निष्कर्ष :

- प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे क्षेत्रों में, विशेषकर सेमीकंडक्टर और ड्रोन के मामले में, रणनीतिक प्रगति हुई है। हालांकि, पन्नून मामले और सिख सक्रियता जैसी चुनौतियों ने द्विपक्षीय संबंधों में जटिलता की परतें जोड़ दी हैं।
- भारत की आगामी क्वाड प्रेसीडेंसी इन चुनौतियों से निपटने की उसकी क्षमता का एक महत्वपूर्ण परीक्षण होगी। इसके साथ ही, यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के भीतर और संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय मंचों पर अपनी वैश्विक भूमिका पर जोर देने का अवसर भी प्रदान करेगी।
- क्वाड के भीतर और वैश्विक मंच पर भारत का कूटनीतिक संतुलन महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यह अपनी अंतर्राष्ट्रीय संबंध रणनीति के अगले चरण में आगे बढ़ेगा।
- इस प्रकार, प्रधानमंत्री की यात्रा ने जहां एक ओर प्रौद्योगिकी और रक्षा में प्रगति की राह खोली है, वहीं दूसरी ओर यह भारत की कूटनीतिक क्षमता और वैश्विक मंच पर उसकी भूमिका को भी परखने का अवसर प्रदान करती है।

निष्कर्ष :

- प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा ने भारत-अमेरिका संबंधों में नई ऊर्जा का संचार किया है। हालांकि, पन्नून मामले और सिख अलगाववादी सक्रियता जैसी चुनौतियों ने द्विपक्षीय संबंधों में जटिलता बढ़ाई है। भारत की आगामी क्वाड प्रेसीडेंसी इन चुनौतियों से निपटने की उसकी क्षमता का परीक्षण करेगी और वैश्विक मंच पर उसकी भूमिका को और मजबूत करेगी। इस यात्रा ने भारत की कूटनीतिक संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध रणनीति के अगले चरण में आगे बढ़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो आने वाले समय में भारत-अमेयरिका संबंधों में स्वच्छ ऊर्जा और सुरक्षा में सहयोग की नई शुरुआत के रूप में " **मील का पत्थर** " साबित होगा।

स्त्रोत – पीआईबी एवं द हिन्दू।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और क्वाड शिखर सम्मेलन में भारत ने किस वर्ष अगली बैठक की मेजबानी करने की घोषणा की है ?

A. रक्षा समझौता : 2025

B. व्यापार समझौता : 2024

C. जलवायु परिवर्तन समझौता : 2023

D. स्वास्थ्य समझौता : 2026

उत्तर : A. रक्षा समझौता : 2025

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. प्रधानमंत्री मोदी की हाल की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के रणनीतिक परिणामों पर चर्चा करते हुए, क्या आप बता सकते हैं कि इस यात्रा के दौरान क्वाड में भारत की भूमिका और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय प्रगति पर क्या मुख्य बिंदु सामने आए हैं और ये घटनाक्रम भारत की भू-राजनीतिक स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं ? (शब्द सीमा – 250 अंक -15)

सर्वोच्च न्यायालय की चेतावनी : CBI अन्वेषण में संतुलन अनिवार्य

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की आलोचना की है, क्योंकि उसने राज्य पुलिस की जाँच को CBI को हस्तांतरित करने के लिए पर्याप्त तर्क नहीं दिए थे।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि CBI जाँच का आदेश केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए, जब स्पष्ट साक्ष्य हों कि राज्य पुलिस निष्पक्ष जाँच नहीं कर सकती है।
- कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन (GTA) क्षेत्र में भर्ती में कथित अनियमितताओं के संदर्भ में CBI जाँच के आदेश दिए थे, जिसे पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनौती दी थी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश को रद्द करते हुए न्यायालयों से न्यायिक संयम बरतने और CBI जाँच का आदेश देने के लिए स्पष्ट और बाध्यकारी कारण बताने के लिए कहा।
- इस निर्णय ने न्यायिक संयम के महत्त्व को रेखांकित किया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि CBI का उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही हो।

भारत में CBI के उपयोग से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय :

CBI के उपयोग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित हैं –

- **CBI बनाम राजेश गांधी केस, 1997 :** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि CBI को मामले तभी सौंपे जाने चाहिए जब स्थानीय पुलिस की जाँच असंतोषजनक हो। आरोपी यह निर्णय नहीं कर सकता कि कौन सी एजेंसी जाँच करेगी।
- **विनीत नारायण बनाम भारत संघ मामला, 1997 :** इस मामले में, जिसे जैन हवाला कांड भी कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार और CBI की जवाबदेही पर फैसला सुनाया। न्यायालय ने केंद्र सरकार के 1969 के "सिंगल डायरेक्टिव" को अमान्य कर दिया, जिससे जाँच एजेंसियों की स्वतंत्रता मज़बूत हुई और राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना कार्य करने के दिशानिर्देश दिए गए।
- **CBI बनाम डॉ. आरआर किशोर मामला, 2023 :** सर्वोच्च न्यायालय ने DSPE अधिनियम की धारा 6A को असंवैधानिक और शून्य घोषित किया, जिससे विधि को असंवैधानिक घोषित करने के पूर्वव्यापी प्रभाव पर निर्णय हुआ।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- **CPIO CBI बनाम संजीव चतुर्वेदी केस, 2024 :** दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि CBI को RTI अधिनियम की धारा 24 से पूरी तरह छूट नहीं है। CBI को "संवेदनशील जाँच" को छोड़कर भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित जानकारी प्रदान करनी होगी। ये निर्णय CBI की कार्यप्रणाली और उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) का प्रमुख कार्य और दायित्व :

- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है, जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और पारंपरिक अपराधों की जांच करती है।
- इसकी स्थापना 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य युद्ध और आपूर्ति विभाग में भ्रष्टाचार की जांच करना था।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 1946 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम लागू किया गया, जिसके तहत इसका कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया गया।
- सन 1963 में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की स्थापना की गई। इस प्रस्ताव के माध्यम से ही दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (डीएसपीई) को सीबीआई में विलय कर दिया गया और उसे सीबीआई का एक प्रभाग बना दिया गया।
- बाद में, सीबीआई को गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र से कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया।
- **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की स्थापना गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई है, इसलिए यह न तो संवैधानिक निकाय है और न ही वैधानिक निकाय है।**
- सीबीआई को अपनी शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से प्राप्त होती हैं ।
- इसकी स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार निवारण पर गठित संथानम समिति ने की थी।
- CBI, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 के तहत कार्य करता है।
- **CBI का आदर्श वाक्य "उद्योग, निष्पक्षता और अखंडता" है।**
- यह एजेंसी रिश्वतखोरी, सरकारी भ्रष्टाचार, केंद्रीय कानूनों के उल्लंघन, बहु-राज्य संगठित अपराध और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जांच करती है।
- **CBI के निदेशक की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश की समिति द्वारा की जाती है।**
- CBI को केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ जांच करने से पहले केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होती है, हालांकि 2014 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने इस आवश्यकता को अवैध घोषित कर दिया।
- CBI को राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है, जो विशिष्ट या सामान्य हो सकती है।
- सामान्य सहमति के तहत, CBI को हर बार नई मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन विशिष्ट सहमति के बिना CBI अधिकारियों को पुलिस कर्मियों के समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं होतीं हैं।
- CBI भ्रष्टाचार, सरकारी अपराध, बहु-राज्य संगठित अपराध, और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जांच करती है। इसकी कार्यप्रणाली प्रभावी और व्यापक है, जिससे यह देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

PLUTUS IAS

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष मुख्य चुनौतियां :

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष कई महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं, जो इसकी कार्यक्षमता और विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं। **उदाहरण के लिए –**

- **राजनीतिक हस्तक्षेप और दबाव में काम करने के आरोप लगना :** सीबीआई पर अक्सर राजनीतिक दबाव में काम करने के आरोप लगते हैं, जिससे इसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे **"पिंजरे में बंद तोता"** कहा है, जो राजनीतिक मालिकों की आवाज में बोलता है।
- **केंद्र सरकार द्वारा इसका दुरुपयोग करना :** भारत के संविधान के विशेषज्ञ और आलोचकों का मानना है कि केंद्र सरकारें सीबीआई का उपयोग राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने और राज्य सरकारों को नियंत्रित करने के लिए करती हैं।
- **विशिष्ट मामलों में पक्षपात करने का आरोप लगना :** सीबीआई पर कुछ मामलों में पक्षपात करने और राजनीतिक दलों या व्यक्तियों का पक्ष लेने के आरोप लगते रहे हैं, जिससे इसकी निष्पक्षता पर संदेह होता है।
- **जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी :** सीबीआई की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और निगरानी की कमी के कारण इसकी जवाबदेही पर प्रश्न उठते हैं।
- **पर्याप्त कर्मचारियों और संसाधनों की कमी :** सीबीआई को पर्याप्त कार्मिक कर्मचारियों , बुनियादी ढांचे और वित्तीय संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे इसकी जांच क्षमता प्रभावित होती है।
- **अप्रभावी होने की धारणा** : हाई-प्रोफाइल मामलों में सीबीआई की कार्रवाई को अक्सर अपर्याप्त माना जाता है, जिससे इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं और जनता का विश्वास कम होता है।
- **विलंबित जांच प्रक्रिया** : सीबीआई की धीमी जांच प्रक्रिया के कारण न्याय में देरी होती है, जिससे जनता का विश्वास कम होता है।

भारत में सीबीआई की स्वायत्तता बढ़ाने के लिए सुझाए गए उपाय :

- **वैधानिक समर्थन की आवश्यकता :** डीएसपीई अधिनियम के स्थान पर एक नया सीबीआई अधिनियम लाया जाए, जिसमें सीबीआई की भूमिका, अधिकार क्षेत्र और कानूनी शक्तियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाए।
- **कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि :** सीबीआई को अधिक मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जाए।
- **प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए संसाधनों में वृद्धि करने की आवश्यकता :** सीबीआई के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि और एजेंसी के बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाए ताकि यह अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सके।
- **प्रशासनिक सशक्तिकरण, जवाबदेही में वृद्धि और इसके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करना :** संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों में सीबीआई की जांच शक्तियों को बढ़ाया जाए ताकि इसे और अधिक सशक्त बनाया जा सके।

निष्कर्ष :

- केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसके प्रभावी कामकाज में कई चुनौतियाँ हैं, जिनका समाधान आवश्यक है। सीबीआई को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार, संसाधनों की वृद्धि और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होकर निष्पक्षता से काम करने की आवश्यकता है। इन सुधारों को लागू करने से सीबीआई की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता में वृद्धि होगी, जिससे यह भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में और मजबूत हो सकेगा। इससे यह न केवल भारत की न्यायिक प्रणाली को मजबूत करेगा, बल्कि यह अपने आदर्श वाक्य " **उद्योग, निष्पक्षता और अखंडता** " को सही अर्थों में चरितार्थ करते हुए नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी बढ़ाएगा।

स्त्रोत – पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. सर्वोच्च न्यायालय की चेतावनी के संदर्भ में, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) हाल के दिनों में विश्वसनीयता और विश्वास के संकट का सामना क्यों कर रहा है?

1. राजनीतिक दबाव के कारण
2. कानूनी प्रक्रियाओं में लापरवाही के कारण
3. अन्वेषण में पारदर्शिता की कमी के कारण
4. अन्वेषण में संतुलन सुनिश्चित करने और जन विश्वास में कमी के कारण

उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही है ?

A. केवल एक

B. केवल दो

C. केवल तीन

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – D.

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. सर्वोच्च न्यायालय की चेतावनी के संदर्भ में, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) हाल के दिनों में विश्वसनीयता और विश्वास के संकट का सामना क्यों कर रहा है? इस संकट के कारणों एवं परिणामों का विश्लेषण करते हुए, CBI के प्रति आम लोगों के विश्वास और प्रतिष्ठा को बढ़ाने हेतु कुछ सकारात्मक उपाय सुझाइए। (शब्द सीमा – 250 अंक 15)

सुरक्षा बनाम अधिकार : AFSPA पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने नागालैंड में नागरिकों की कथित हत्या के आरोपियों (विशेष बल के 30 सैन्य कर्मियों) के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है और इन कर्मियों को सभी कानूनी कार्यवाहियों से मुक्त कर दिया है।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने इन सैन्य कर्मियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की स्वीकृति देने से मना कर दिया था।
- सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (AFSPA) के कार्यान्वयन को मणिपुर के पहाड़ी जिलों, नागालैंड के आठ जिलों, और अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों में 1 अक्टूबर 2024 से छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
- यह निर्णय इन राज्यों में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया है, ताकि "अशांत" क्षेत्रों में सशस्त्र बलों की कार्रवाइयों को सुविधाजनक बनाया जा सके। गृह मंत्रालय के अनुसार, पूर्वोत्तर के 70% राज्यों से AFSPA हटा लिया गया है।
- वर्ष 2021 में नागालैंड के मोन जिले में सेना के जवानों द्वारा सही पहचान न कर पाने के कारण नागरिकों की मौत हुई थी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 की धारा 6 के तहत केंद्र सरकार (गृह मंत्रालय) की अनुमति के अभाव में आगे की कानूनी कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस घटना में शामिल सैन्यकर्मि-यों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रोक दिया

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

है और सरकार द्वारा आवश्यक अनुमति मिलने पर पुनः कार्यवाही शुरू करने की संभावना पर सहमति जताई है।

- यह मामला न केवल कानूनी और प्रशासनिक दृष्टि-कोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सशस्त्र बलों और नागरिकों के बीच संबंधों पर भी गहरा प्रभाव डालता है।

विधिक प्रावधान :

- **AFSPA की धारा 6 :** इसके द्वारा अधिनियम के तहत की गई कार्रवाइयों के संबंध में सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अधिनियम के तहत की गई या की जाने वाली कार्रवाइयों के लिये किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई अभियोजन, मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।

क्या है सैन्य बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम ?

- सैन्य बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), 1958 एक विवादास्पद कानून है, जो भारत में औपा-निवेशिक काल की विरासत से उपजा है।
- यह अधिनियम मूलतः सन 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किए गए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अध्यादेश की तर्ज पर बनाया गया, जिसका उद्देश्य भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलना था।
- सन 1947 में भारत के विभाजन के बाद उत्पन्न अशांति को नियंत्रित करने के लिए, भारतीय सरकार ने बंगाल, असम, पूर्वी बंगाल और संयुक्त प्रांत में चार अध्यादेश जारी किए। इन अध्यादेशों को बाद में 1958 में AFSPA कानून के रूप में संसद में पारित किया गया था।

भारत में AFSPA के प्रमुख प्रावधान :

- **सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना :** यह अधिनियम सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति देता है।
- **गोली मारने का अधिकार:** सुरक्षा बलों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को गोली मारने का अधिकार भी दिया गया है। यदि गोली चलने से उस व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, तो भी उसकी जवाबदेही गोली चलाने वाले या गोली चलाने का आदेश देने वाले अधिकारी की नहीं होगी।
- **एकत्र होने पर रोक:** सुरक्षा बलों के पास यह अधिकार होता है कि वे इस क्षेत्र में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगा सकते हैं।
- **तलाशी और नष्ट करने का आदेश:** सुरक्षा बल के सदस्य संदेह होने पर किसी भी स्थान की तलाशी ले सकते हैं, और खतरा होने पर उस स्थान को नष्ट करने का आदेश भी दे सकते हैं।
- **बिना वारंट गिरफ्तारी:** सशस्त्र बलों के सदस्य किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं और बिना किसी वारंट के किसी भी घर के अंदर जाकर तलाशी ले सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता होने पर बल का प्रयोग भी कर सकते हैं।
- **वाहन की तलाशी :** हथियार ले जाने का संदेह होने पर किसी वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली जा सकती है।
- **संज्ञेय अपराध :** कोई भी व्यक्ति जिसने एक संज्ञेय अपराध किया है, या जिसके खिलाफ एक उचित संदेह मौजूद है कि उसने एक संज्ञेय अपराध किया है, या करने वाला है, तो उस व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है, और गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक बल का उपयोग भी किया जा सकता है। भारत में AFSPA कानून का मुख्य उद्देश्य अशांत क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना है, लेकिन इसके प्रावधानों के कारण यह अक्सर विवादों में रहता है।

AFSPA के अंतर्गत वर्णित अशांत क्षेत्र क्या होता है?

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

अशांत क्षेत्र (Disturbed Area) की परिभाषा :

- AFSPA (सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम) की धारा 3 के तहत, किसी क्षेत्र को अधिसूचना द्वारा "अशांत क्षेत्र" घोषित किया जाता है। यह उन स्थानों पर लागू होता है जहाँ नागरिक शांति बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक होता है।

अधिसूचना और संशोधन :

- **अशांत क्षेत्र घोषित करने के संदर्भ में 1972 का संशोधन :** इस अधिनियम में 1972 में संशोधन किया गया, जिससे किसी क्षेत्र को "अशांत" घोषित करने की शक्तियाँ राज्यों के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी प्रदान की गईं।

- **अशांत क्षेत्र की घोषणा करने की प्रक्रिया :** केंद्र सरकार, राज्य के राज्यपाल, या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं।

अशांत क्षेत्र घोषित करने का कारण :

- विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषायी या क्षेत्रीय समूहों, जातियों, या समुदायों के सदस्यों के बीच मतभेद या विवाद।

- नागरिक शांति और सुरक्षा के लिए आवश्यक सशस्त्र बलों की तैनाती।

अशांत क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1976 :

- एक बार 'अशांत' घोषित होने के बाद, किसी क्षेत्र को लगातार तीन महीने की अवधि के लिए अशांत बनाए रखा जाता है।

- राज्य सरकार यह सिफारिश कर सकती है कि राज्य में इस अधिनियम की आवश्यकता है या नहीं है। अतः राज्य सरकार इस अधिनियम की आवश्यकता के बारे में सिफारिश भी कर सकती है।

भारत में AFSPA कानून की समीक्षा के लिए बनी समितियाँ और उनकी सिफारिशें :

न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी समिति की सिफारिशें :

- नवंबर 2004 में, केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में AFSPA के प्रावधानों की समीक्षा के लिए न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थीं –

- **AFSPA का निरसन :** AFSPA को निरस्त किया जाना चाहिए और इसके प्रावधानों को गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 में शामिल किया जाना चाहिए।

- **सशस्त्र बलों की शक्तियों का स्पष्टीकरण होना आवश्यक :** सशस्त्र बलों और अर्द्धसैनिक बलों की शक्तियों को स्पष्ट करने के लिए गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए।

- **शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किया जाना :** प्रत्येक जिले में जहां सशस्त्र बल तैनात हैं, शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किया जाना चाहिए।

द्वितीय ARC की सिफारिशें :

- लोक व्यवस्था पर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की 5वीं रिपोर्ट में भी AFSPA को निरस्त करने की सिफारिश की गई है। हालांकि, इन सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है।

संतोष हेगड़े आयोग की सिफारिशें :

- **प्रत्येक छह महीने में समीक्षा :** AFSPA की अनिवार्यता सुनिश्चित करने तथा इसके मानवीय पहलुओं को विस्तारित करने के लिए प्रत्येक 6 माह में इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।

- **UAPA कानून में संशोधन किया जाना :** आतंकवाद से निपटने के लिए केवल AFSPA पर निर्भर रहने के बजाय UAPA अधिनियम में संशोधन करना चाहिए।

PLUTUS IAS

- **सशस्त्र बलों द्वारा की जाने वाली ज्यादतियों की जांच की अनुमति प्रदान करना :** सशस्त्र बलों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान की गई ज्यादतियों की जांच की अनुमति (यहां तक कि "अशांत क्षेत्रों" में भी) दी जानी चाहिए।

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा के कारण :

- **आर्थिक विकास का अभाव :** सरकारी नीतियों के कारण इस क्षेत्र में आर्थिक विकास सीमित रहा है, जिससे रोजगार के अवसर भी सीमित रहे हैं। इस आर्थिक विपन्नता के कारण कई युवा विद्रोही समूहों में शामिल हो जाते हैं।
- **बहु-जातीय विविधता का होना :** यह क्षेत्र भारत का सर्वाधिक जातीय विविधता वाला क्षेत्र है, जहां लगभग 40 मिलियन लोगों के साथ 635 जनजातीय समूहों में से 213 रहते हैं। प्रत्येक जनजाति की एक अलग संस्कृति होने के कारण आम समाज के साथ इनके एकीकरण में प्रतिरोध होता है और सांस्कृतिक पहचान के नष्ट होने की चिंता रहती है।
- **जनसांख्यिकीय परिवर्तन :** बांग्लादेश से शरणार्थियों के आगमन के कारण इस क्षेत्र के जनसांख्यिकीय परिदृश्य में बदलाव आया है, जिससे असंतोष और उग्रवाद को बढ़ावा मिला है।
- **सेना द्वारा की जानेवाली कथित ज्यादतियाँ :** AFSPA के कार्यान्वयन की आलोचना के कारण स्थानीय लोगों में अलगाव पैदा हुआ है और विद्रोही समूहों द्वारा इसका दुष्प्रचार किया जाता है।
- **पड़ोसी देशों में उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता :** बांग्लादेश और म्यांमार की अस्थिरता के कारण उत्तर-पूर्व में सुरक्षा गतिशीलता और अधिक जटिल हो गई है, जिससे उग्रवाद की समस्या बढ़ी है।
- **बाह्य देशों द्वारा समर्थन दिया जाना :** ऐतिहासिक रूप से पूर्वोत्तर में विद्रोही समूहों को पड़ोसी देशों से समर्थन प्राप्त होता रहा है। पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) ने 1950 और 1960 के दशक में इस क्षेत्र के उग्रवादी समूहों को प्रशिक्षण और हथियार उपलब्ध कराए, जबकि चीन ने 1967 से 1975 तक ऐसे समूहों को सहायता प्रदान की थी।

आगे की राह :

1. **आपसी समन्वय और आत्मविश्वास का निर्माण :** स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और सरकार तथा लोगों के बीच समन्वय के अंतराल को कम करने के लिए बॉटम टू टॉप एप्रोच का शासन मॉडल अपनाना चाहिए। यह मॉडल नीति निर्माण में स्थानीय स्तर की भागीदारी को बढ़ावा देगा।
2. **शांति समझौतों को प्राथमिकता देना :** AFSPA को निरस्त करने के क्रम में विद्रोही समूहों के साथ शांति समझौते करना आवश्यक है। इनमें उचित पुनर्वास और सहायता तंत्र को शामिल किया जाना चाहिए ताकि स्थायी समाधान संभव हो सके।
3. **बुनियादी ढाँचे के विकास और कनेक्टिविटी में सुधार :** पूर्वोत्तर में बुनियादी ढाँचे के विकास और कनेक्टिविटी में सुधार के साथ इस क्षेत्र की सुरक्षा और शांति को प्राथमिकता देनी चाहिए।
4. **मानवाधिकारों का पालन सुनिश्चित करना :** इस क्षेत्र में मानवाधिकारों का पालन सुनिश्चित करने के साथ आतंकवाद विरोधी अभियानों को मजबूत करना चाहिए, जिससे सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता और वैधता बढ़े।
5. **स्थानीय समर्थन और विश्वास निर्माण :** सशस्त्र बलों को आतंकवाद और विद्रोही गतिविधियों का मुकाबला करने में स्थानीय समर्थन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय आबादी के बीच विश्वास निर्माण के कदम उठाने चाहिए।
6. **त्वरित न्याय सुनिश्चित करना :** सुरक्षा बलों और सरकार को मौजूदा मामलों को तेजी से सुलझाना चाहिए और दोषियों पर मुकदमा चलाकर पीड़ितों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करना चाहिए।
7. **सुरक्षा बलों को एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की जरूरत :** सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लं-

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

घन के आरोपों से निपटने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

8. **AFSPA का सीमित उपयोग करना :** सरकार को AFSPA को पूरे राज्य में लागू करने के बजाय केवल कुछ अशांत क्षेत्रों तक सीमित करना चाहिए, जिससे इसके दुरुपयोग को रोका जा सके।

9. **निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना** : सरकार और सुरक्षा बलों को सुप्रीम कोर्ट, जीवन रेड्डी आयोग, संतोष हेगड़े समिति और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए, जिससे कानून व्यवस्था और मानवाधिकारों का संरक्षण हो सके।

स्त्रोत – पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसे किस प्रकार की शक्तियाँ दी जाती हैं?

A. आतंकवादियों को खत्म करना और हत्या का अधिकार।

B. अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियाँ प्रदान करना और बिना वारंट के गिरफ्तारी और तलाशी करने का अधिकार।

C. नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना और आतंकवादियों को खत्म करना।

D. आतंकवादियों के संबंध में केवल उस राज्य के पुलिस को सूचित करना।

उत्तर – B. अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियाँ प्रदान करना और बिना वारंट के गिरफ्तारी और तलाशी करने का अधिकार।

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत के आंतरिक सुरक्षा एवं सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (AFSPA) के निहितार्थों का विश्लेषण करते हुए, यह चर्चा कीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसके सुरक्षा, मानवाधिकार एवं शासन पर पड़ने वाले प्रभावों को किस प्रकार देखा है? (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

कार्बन तटस्थता और हरित पहल : ग्रीनहशिंग के प्रभाव और समाधान

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में, वैश्विक स्तर पर कार्बन-न्यूट्रल प्रमाणित फर्मों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन इनमें से कई फर्में अपनी पर्यावरणीय उपलब्धियों को प्रचारित नहीं करना चाहतीं, जिससे ग्रीनहशिंग का चलन बढ़ रहा है।
- वस्तुतः ग्रीनहशिंग एक ऐसा रुझान है जिसमें कंपनियाँ अपनी पर्यावरणीय उपलब्धियों को बढ़ावा देने से बचती हैं अथवा अपनी पर्यावरणीय उपलब्धियों को प्रचारित करने में हिचकिचाती हैं।

ग्रीनहशिंग क्या होता है?

- ग्रीनहशिंग तब होती है जब कंपनियाँ अपने पर्यावरणीय लक्ष्यों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी को कम करके बताती हैं या जानबूझकर छिपाती हैं।

- ये कंपनियाँ अपनी हरित साख का विज्ञापन जा-नबूझकर नहीं करती हैं और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति अपनी भावी प्रतिबद्धताओं के बारे में चुप रहती हैं।

कंपनियाँ ग्रीनहशिंग क्यों करती हैं ?

- **मुकदमेबाजी संबंधी चिंताएँ :** संयुक्त राज्य अमेरिका में, कंपनियों को मुकदमों का सामना करना पड़ सकता है यदि उन्हें शेयरधारक मुनाफे की तुलना में स्थिरता को प्राथमिकता देते हुए देखा जाता है।
- **ईएसजी के विरुद्ध प्रतिक्रिया :** अमेरिका के कुछ राज्यों में ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) प्रयासों के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई है, जिससे कंपनियाँ अपने पर्यावरणीय लक्ष्यों पर चर्चा करने से बचती हैं।
- **हरित उत्पादों की निम्न गुणवत्ता :** कई उपभोक्ता हरित उत्पादों को निम्न गुणवत्ता या उच्च कीमत से जोड़ते हैं, जिससे कंपनियाँ अपने उत्पादों के पर्यावरणीय लाभों को बढ़ावा देने में अनिच्छुक रहती हैं।
- **भविष्योन्मुखी प्रतिबद्धताओं से बचना :** कंपनियाँ भविष्य की प्रतिबद्धताओं की अपेक्षाओं या अधिक महत्वाकांक्षी पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के दबाव से बचने के लिए चुप रहती हैं।
- **ग्राहकों की असुविधा से बचना :** पर्यटन उद्योग में कई व्यवसाय अपने ग्राहकों को असुविधा से बचाने के लिए अपने पर्यावरणीय प्रयासों को गुप्त रखना पसंद करते हैं, क्योंकि छुट्टियों के दौरान लोग जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से बचना चाहते हैं, जिससे पर्यटन उद्योग की कई कंपनियाँ अपने पर्यावरणीय प्रयासों को गुप्त रखना पसंद करती हैं।
- **ग्रीनवाशिंग के आरोप :** ग्रीनवाशिंग के आरोप किसी फर्म की छवि को नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसलिए ये फर्म अपनी उपलब्धियों को गुप्त रखना पसंद करती हैं।
- **उपभोक्ताओं की मांग में कमी :** कई उपभोक्ता कार्बन तटस्थता के बारे में अनभिज्ञ हैं या खरीदारी का निर्णय लेते समय शायद ही कभी कार्बन तटस्थ उत्पादों के बारे में पूछते हैं। इस प्रकार, ग्रीनहशिंग एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कंपनियों की पर्यावरणीय पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

कंपनियाँ कार्बन न्यूट्रल प्रमाणित क्यों होती हैं ?

- **प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ :** कार्बन तटस्थता कंपनियों को प्रतिस्पर्द्धियों से अलग पहचान प्रदान करती है। इसके साथ ही यह प्रतिभाओं को आकर्षित करने और बेहतर वित्तीय शर्तों तक पहुँच बनाने में सहायता करती है।
- **सामाजिक प्रमुखता बनाए रखना :** कई कंपनियाँ अपनी सामाजिक प्रमुखता को बनाए रखने के लिए और सार्वजनिक धारणा एवं हितधारकों के विश्वास को सुधारने के लिए कार्बन तटस्थता की दिशा में प्रयास करती हैं। यह उन्हें हितधारकों के साथ मजबूत संबंध बनाने में मदद करता है।
- **नैतिक प्रतिबद्धता :** नैतिक रूप से प्रेरित कुछ कंपनियाँ कार्बन तटस्थता का प्रयास करती हैं क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करना सही है। ये कंपनियाँ पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति अपने जुनून और ग्रह की रक्षा की जिम्मेदारी की भावना से प्रेरित होती हैं।

ग्रीनहशिंग से संबंधित मुख्य चिंताएँ :

- **वैश्विक स्तर पर बढ़ती हुई विनियमन और जाँच की प्रवृत्ति :** जलवायु परामर्श फर्म साउथ पोल की एक रिपोर्ट में पाया गया है कि विश्व की तक़रीबन 58% कंपनियाँ बढ़ती हुई विनियमन और जाँच के कारण जलवायु संबंधी अपने संचार को कम कर रही हैं।
- **पारदर्शिता में कमी का होना :** जब कंपनियाँ अपने स्थिरता प्रयासों के बारे में खुले तौर पर जानकारी नहीं देती हैं, तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में उनकी प्रगति का आकलन करना कठिन हो जाता है। इससे जलवायु कार्रवाई की प्रगति को ट्रैक करने और सत्यापित करने की क्षमता कम हो जाती है।
- **जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए समग्र वैश्विक प्रयास का कमज़ोर होना :** यदि ये व्यवसाय अपने पर्यावरणीय प्रयासों के बारे में जानकारी को रोकते हैं, तो इससे धारणीय प्रथाओं को अपनाने में देरी हो सकती है, जिससे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए समग्र वैश्विक प्रयास कमज़ोर हो सकता है।
- **प्रतिकूल प्रतिक्रिया का डर और डोमिनो प्रभाव :** स्थिरता प्रयासों का विरोध करने वाले क्षेत्रों या उद्योगों से प्रतिकूल प्रतिक्रिया का भय अन्य व्यवसायों और कंपनियों को सतत् प्रथाओं को अपनाने से रोकता है।
- **उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला प्रभाव :** जब कोई कंपनियाँ अपनी स्थिरता संबंधी उपलब्धियों के बारे में चुप रहती हैं, तो इससे उपभोक्ता कम टिकाऊ उत्पाद ख़रीदना जारी रख सकते हैं, जिससे अनजाने में पर्यावरण अनुकूल विकल्पों की मांग धीमी हो जाती है।

ग्रीनवाशिंग की समस्या का समाधान :

- **ग्रीनवाशिंग के आरोपों के प्रति चिंताओं को दूर करना और सततता पर ध्यान केंद्रित करना :** कंपनियों को यह समझाना चाहिए कि पर्यावरणीय स्थिरता केवल एक अंतिम लक्ष्य नहीं बल्कि एक यात्रा है। उनके प्रयासों को साझा करके और दर्शकों को शामिल करके, वे आलोचनाओं को कम कर सकते हैं और ग्रीनवाशिंग के आरोपों के प्रति चिंताओं को दूर कर सकते हैं।
- **प्रभावी विनियमन से स्पष्टता और विश्वास में वृद्धि होना :** प्रभावी विनियमन से स्पष्टता और विश्वास में वृद्धि होती है, जिससे प्रतिस्पर्धा का माहौल संतुलित होता है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ के ग्रीनवाशिंग दिशानिर्देश भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाते हैं और उपभोक्ताओं को बेहतर उत्पाद जानकारी प्रदान करते हैं।
- **सतत विकास को प्रोत्साहित करना और उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देना :** स्थिरता के प्रति उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने से ग्रीन उत्पादों के प्रति नकारात्मक धारणा को बदलने में मदद मिल सकती है। इससे उपभोक्ता अधिक सतत कंपनियों का चयन करने में समर्थ होंगे, जो अंततः सतत विकास को प्रोत्साहित करेगा। इस प्रकार, ग्रीनहशिंग की समस्या का समाधान करने के लिए कंपनियों को पारदर्शिता, बेहतर विनियमन और उपभोक्ता शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए।

स्त्रोत – द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q .1. कार्बन तटस्थता हासिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा उपाय सबसे प्रभावी है और हरित पहल के तहत निम्नलिखित में से कौन-सा कार्यक्रम शामिल नहीं है?

1. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना।
2. वनों का संरक्षण करना।
3. जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को नजरअंदाज करना।
4. ऊर्जा दक्षता में सुधार करना।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. कार्बन तटस्थता और हरित पहल के संदर्भ में ग्रीनवाशिंग की समस्याएँ और उनके समाधान क्या हैं और इसके साथ ही चर्चा कीजिए कि यह वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भारत के जेलों में जाति : भारत की न्याय प्रणाली में असमानताएँ

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने जेलों में जाति आधारित भेदभाव पर रोक लगाने के लिये कई निर्देश जारी किए हैं।
- भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुकन्या शांता बनाम भारत संघ मामले में यह निर्णय दिया है।
- न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया कि किसी भी कैदी को उसकी जाति के आधार पर कार्य या आवास व्यवस्था न दी जाए।
- इस फैसले से जेलों में जातिगत भेदभाव की प्रथा को समाप्त करने और उसमें सुधार करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता सुकन्या शांता, जो पेशे से पत्रकार हैं ने जेलों में जातिगत भेदभाव पर आधारित एक लेख लिखा था और भारत के जेलों में आपत्तिजनक प्रावधानों को निरस्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी।

सुकन्या शांता बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि :

सुकन्या शांता बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि निम्नलिखित है:

- पत्रकार सुकन्या शांता ने अपने लेख “ पृथक्करण से लेकर श्रम तक, मनु की वर्ण व्यवस्था भारतीय जेल प्रणाली पर नियंत्रण ” में भारतीय जेलों में जाति आधारित भेदभाव पर प्रकाश डाला था। उन्होंने राज्य जेल मैनुअल में आपत्तिजनक प्रावधानों को निरस्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला :

- भेदभावपूर्ण प्रथाओं का असंवैधानिक होना : सर्वोच्च न्यायालय ने जेलों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और विमुक्त जनजातियों (डीएनटी) के

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

खिलाफ भेदभावपूर्ण प्रथाओं को असंवैधानिक करार दिया है।

- मौलिक मानवीय गरिमा के खिलाफ होना : डीएनटी कैदियों के साथ "आदतन अपराधी" जैसा व्यवहार करना मौलिक मानवीय गरिमा के खिलाफ है।
- जाति आधारित श्रम आवंटन भारतीय संविधान के विरुद्ध होना : जाति आधारित श्रम आवंटन, जैसे सफाई का काम हाशिए पर पड़ी जातियों को और खाना पकाने का काम उच्च जातियों को सौंपना, संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत निषिद्ध अस्पृश्यता को दर्शाना : भारत के कई राज्यों के जेल में भोजन 'उपयुक्त जाति' द्वारा पकाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत निषिद्ध अस्पृश्यता को दर्शाता है।
- व्यक्तिगत विकास में बाधा डालना : जाति आधारित भेदभाव व्यक्तिगत विकास में बाधा डालता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।
- जबरन श्रम के समान होना : भारत के जेलों में विशिष्ट जातियों को नीच काम सौंपना अनुच्छेद 23 के तहत जबरन श्रम के समान है।
- मॉडल जेल मैनुअल : सन 2016 के मॉडल जेल मैनुअल में जाति-आधारित भेदभाव को समाप्त करने में खामियां पाई गई है। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने जेलों में जाति-आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया गया दिशा – निर्देश और भारत में जेलों की स्थिति :

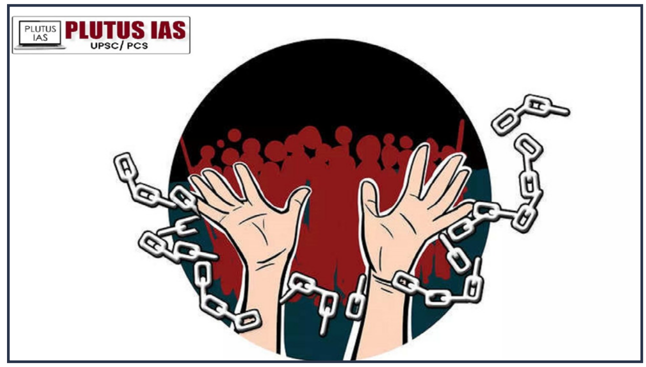

- सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे जाति आधारित पूर्वाग्रहों से निपटने के लिए अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) और अमानतुल्लाह खान बनाम पुलिस आयुक्त, दिल्ली (2024) मामलों में निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। इन दिशा-निर्देशों में पुलिस अधिकारियों से प्रक्रियागत सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है, विशेष रूप से कमजोर समुदायों के लिए, ताकि प्रणालीगत पूर्वाग्रहों के खिलाफ व्यापक लड़ाई को मजबूती मिल सके।

भारत में जेलों की स्थिति भी कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, जो कैदियों के अधिकारों और कल्याण को प्रभावित करती हैं। इनमें निम्नलिखित स्थितियाँ शामिल हैं:

- कैदियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होना : भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 39A जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। फिर भी, भारतीय जेलों में कैदियों के मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हो रहा है।
- विचाराधीन कैदियों की संख्या अधिक होने के कारण अत्यधिक भीड़भाड़ का होना : वर्तमान में भारत में जेलें 117% क्षमता पर संचालित हो रही हैं, जिसका मुख्य कारण विचाराधीन कैदियों की संख्या अधिक होना है।
- जेलों में अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों का होना : भारत के विभिन्न राज्यों के जेलों में कई कैदियों को उचित चिकित्सा सुविधाएँ नहीं

मिल पाती हैं। महिला कैदियों को अक्सर पर्याप्त सैनिटरी उत्पाद और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं मिलती हैं।

- पुलिस हिरासत में कैदियों के साथ होने वाली हिंसा और यातना : वर्ष 1986 के डी.के. बसु के केस में फैसले में यातना पर रोक लगाने के बावजूद हिरासत में हिंसा की खबरें जारी हैं, तथा हिरासत में मृत्यु के मामले भी बढ़ रहे हैं।
- भारत में न्याय पाने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रियाओं का होना : भारत में अभी भी न्याय पाने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रियाएँ चलती रहती है, जो जेल प्रशासन को बाधित करने के साथ – ही साथ कैदियों की पीड़ा को बढ़ाती हैं।
- महिला कैदियों के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ : भारत के विभिन्न राज्यों की जेलों में महिला कैदियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन उन्हें अक्सर अपर्याप्त सुविधाओं का सामना करना पड़ता है।भारत में महिलाओं के लिए समर्पित जेलों की कमी है।
- भारत के जेलों में जाति आधारित भेदभाव का मौजूद होना : जेलों में जाति आधारित भेदभाव अभी भी मौजूद है, जिससे कुछ वर्गों के लोगों को गंदे कामों में लगाया जाता है। भारतीय जेलों में अभी भी ब्रिटिश शासन के दौरान बनाये गए पुराने कानूनों के तहत, कुछ वर्गों/ जातियों को गंदे और अस्पृश्यता से संबंधित कामों या मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसे कामों में लगाया जाता है, जिससे समाज में कुछ वर्गों या जाति समूहों के प्रति गलत धारणाएँ बनी रहती हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग कानून लागू होने के बावजूद, भारत के जेलों में यह प्रथा अभी भी जारी है।

भारत में जेल सुधार समितियों की प्रमुख सिफारिशें, कानूनी प्रावधान और प्रमुख निर्णय :

1. मुल्ला समिति (1983) : इस समिति ने भारत में कैदियों के लिए बेहतर जेल आवास, भारतीय कारागार सेवाओं का सृजन, पारदर्शिता के लिए मीडिया दौरे, विचाराधीन कैदियों की संख्या में कमी, राष्ट्रीय नीति और सामुदायिक सेवा विकल्प प्रदान करने की सिफारिश सरकार को दी थी।
2. कृष्ण अय्यर समिति (1987) : इस समिति ने पुलिस बल में महिलाओं की बढ़ती संख्या, महिला अपराधियों के लिए अलग संस्थान, और दोषी महिलाओं की गरिमा का संरक्षण की सिफारिश दी थी।
3. अमिताव रॉय पैनल (2018) : इस पैनल ने विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट, वकील-कैदी अनुपात में सुधार, और वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करने की की सिफारिश की थी।
4. आदर्श कैदी अधिनियम (2023) : इस अधिनियम के तहत कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता, पैरोल और फर्लो का प्रावधान, महिला एवं ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए विशेष सुविधाएं, और जेल प्रशासन में तकनीकी उपयोग करने का प्रावधान सुनिश्चित किया था।

प्रमुख कानूनी मामले :

- हुसैनआरा खातून बनाम गृह सचिव (1979) : इस मामले में विचाराधीन कैदियों के लिए शीघ्र सुनवाई के अधिकार पर जोर दिया गया है।
- राजस्थान राज्य बनाम बालचंद (1978) : जमानत का अधिकार के तहत जमानत नियम है, जेल नहीं।

कैदियों के साथ व्यवहार में सुधार हेतु वैश्विक प्रयास और समाधान की राह :

1. नेल्सन मंडेला नियम जेल से संबंधित एक ऐसे दिशा – निर्देशों का समूह है, जिसे विश्व के प्रमुख नेताओं ने स्थापित किया है।
2. इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी कैदियों के साथ सम्मान और दयालुता से व्यवहार किया जाए, भले ही वे कौन हों या उन्होंने क्या किया हो।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

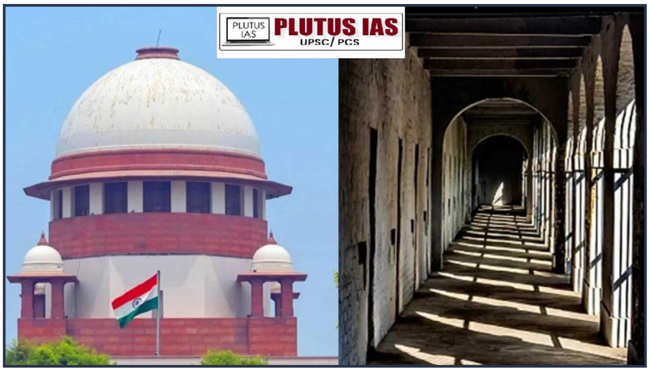

3. ये नियम इस बात पर जोर देते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ उसके सामाजिक या व्यक्तिगत पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
4. नेल्सन मंडेला नियम जेलों में सुधार और कैदियों के प्रति दयालुता के व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए हैं, हालांकि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं।
5. वर्ष 2016 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया मॉडल जेल मैनुअल, जो इन नियमों पर आधारित है, दुनिया भर के देशों के लिए एक संदर्भ प्रदान करता है।
6. वैश्विक सिफारिशों के बावजूद, कई देश अपनी जेल प्रणालियों में सुधार करने या मौजूदा नीतियों की पुनरावलोकन में संकोच कर रहे हैं।
7. इस स्थिति में सुधार के लिए, जेल अधिकारियों के लिए संवेदनशीलता कार्यक्रम और जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि उन्हें निष्पक्ष और मानवीय व्यवहार के प्रति जागरूक किया जा सके।
8. कैदियों के बीच समानता को बढ़ावा देने के लिए 1894 के कारागार अधिनियम जैसे कठोर प्रावधानों का पुनर्मूल्यांकन करने की वैश्विक मांग भी उठ रही है।
9. इस प्रकार के प्रयासों के माध्यम से, हम कैदियों के अधिकारों की रक्षा और सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं।

स्रोत – द हिंदू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. कृष्ण अय्यर समिति ने भारत में जेल सुधार के संदर्भ में किस प्रकार के कैदियों के लिए विशेष ध्यान देने की सिफारिश की थी?

1. विचाराधीन कैदी
2. महिला और वृद्ध कैदी

उपरोक्त विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है ?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. न तो 1 और न ही 2

D. 1 और 2 दोनों

उत्तर – D.

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत के जेलों में जाति के प्रभाव और न्याय प्रणाली में असमानताओं के कारणों और परिणामों का विश्लेषण करें तथा यह चर्चा करें कि भारत में विभिन्न जातियों के प्रति न्यायालयों, पुलिस और कारागारों में भेदभाव और असमानताओं का समाज क्या प्रभाव पड़ता है ? तर्कसंगत सुझाव प्रस्तुत कीजिए। (शब्द सीमा – 250 अंक 15)

PLUTUS IAS

PLUTUS IAS UPSC/ PCS